श्री मनोज कुमार, भा0 प्र0 से0 उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में दिनांक 01.02.2013 को मंडल कारा, चतरा की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. उपायुक्त, चतरा।
2. अधीक्षक, मंडल कारा, चतरा।
3. सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, चतरा।
4. कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, चतरा।

कार्यवाही

दिनांक 01.02.2013 के अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कक्ष में कारा सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में काराधीक्षक ने सर्वप्रथम भवन निर्माण संबंधी लंबित एवं सुरक्षात्मक त्रुटिजनक कार्य/योजनाओं की विवरणी संबंधित पदाधिकारियों को सौंपते हुए बताया (विवरणी संलग्न) कि भवन संबंधी लंबित एवं त्रुटिजनक कार्यों का पूर्ण निराकरण बार–बार भवन पदाधिकारियों को ध्यानाकृष्ट किये जाने के उपरांत भी नहीं हो पा रहा है, जिससे कई भवनों की उपयोगिता नहीं हो पा रही है। इस संबंध में उपस्थित भवन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे कारा के छोटे–छोटे एवं सुरक्षात्मक कार्यों को अविलम्ब मानक गुणवत्ता के साथ पूर्ण एवं त्रुटि रहित कर भवन काराधीक्षक को विधिवत हस्तांतरित करें ताकि अगली बैठक में कोई कार्य लंबित न रहे। भवन पदाधिकारियों ने बताया कि वे सभी छोटे–छोटे त्रुटिजनक एवं अधूरे कार्यों का निष्पादन फरवरी' 2013 तक करा देंगे तथा जो कार्य आरंभ नहीं हुए हैं इस संबंध में कार्यपालक अभियंता से विमर्श कर मार्च' 2013 तक पूर्ण किये जाने का समुचित पहल करेंगे। साथ ही उन्होंने यह बताया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन वाले कार्यों/ योजनाओं को अंतर राशि उपलब्ध होने पर शीघ्र आरंभ करा देंगे।

100 बंदी क्षमता वाले बैरकों की मरम्मति के संबंध में भवन अभियंताओं ने बताया कि यह कार्य एक माह के अन्तर्गत पूर्ण करा लिया जायेगा।

काराधीक्षक ने आगे बताया कि (I) C.C.Tv अधिष्ठान का कार्य बार–बार स्मारित किये जाने के बावजूद नहीं हो पा रहा है। इसी तरह (II) जैमर एवं (III) हाई मॉस्ट लाईट मरम्मति का कार्य भी AMC के अभाव में नहीं हो पा रहा है। उक्त उपकरण सुरक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इस संबंध में काराधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित संचिकाएँ प्रस्ताव/प्रारूप सहित शीघ्र समर्पित करें। उन्होंने इस संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की।

काराधीक्षक ने बताया कि नवनिर्मित कारा अस्पताल की त्रुटियों के निराकरण उपरांत इसके संचालन हेतु उपकरणों के क्रय की आवश्यकता होगी। इस संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा से बार–बार अनुरोध किया गया है।

सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उक्त अस्पताल को काफी संकीर्ण होने, हवादार, प्रकाशमय एवं स्वस्थ्यकर नहीं होने की वजह से संचालन नहीं किये जाने की अनुशंसा की है। काराधीक्षक ने इस संबंध में बताया कि कारा अस्पताल निर्माण कार्य की योजना वित्तीय वर्ष 2007—08 की है। विदित हो कि मंडल कारा, चतरा में गंभीर जनाकीर्णता समस्या है तथा किसी भी नवनिर्माण के लिए अब कोई खुला जगह नहीं है। ऐसे में सीमित जगह एवं व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त अस्पताल का निर्माण हुआ है। उन्होंने बताया वास्तविकता यह भी है कि चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी कारा के अंदर जाकर बीमारग्रस्त बंदियों का ईलाज करने, दवां आदि वितरण करने से परहेज करना चाहते हैं। नतीजतन दवा एवं ईलाज के नाम पर कारा के मुख्य गेट पर हमेशा दबाव बना रहता है, जो सुरक्षा दृष्टिकोण से कतई उचित नहीं है। ऐसे में किसी वरीय उप समाहर्त्ता की अध्यक्षता में सिविल सर्जन, कार्यपालक अभियंता, भवन एवं काराधीक्षक का जाँच दल गठित कर कारा अस्पताल संचालन हेतु एक जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए संबंधित संचिका प्रस्ताव सहित शीघ्र प्रस्तुत किये जाने का निर्देश कराधीक्षक को दिया गया। काराधीक्षक ने भी अपनी सहमति व्यक्त की।

अत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ उक्त बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुलग्नक :— यथोपरि।

5/2/13

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक 154 /(गो0) दिनांक 05.02.13

प्रतिलिपि :— कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची,
:— पुलिस अधीक्षक, चतरा,
:— असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा,
:— प्रभारी पदाधिकारी, उपायुक्त का कार्यालय, गोपनीय शाखा, चतरा,
:— कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, चतरा,
:— अधीक्षक, मंडल कारा, चतरा,
:— जिला सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/13

उपायुक्त,
चतरा।